

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर  
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/स्था./2020/352

जबलपुर, दिनांक: 20/03/2020

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 38/एसीएस/जीएडी/2020 भोपाल दिनांक 19 मार्च 2020 के परिपालन में विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस की रोकथाम की दृष्टि से समस्त विभाग प्रमुखों, परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव एवं अन्य समस्त अधिकारियों एवं शैक्षणिक विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिदिन प्रत्येक विभाग/शाखा में 50 फीसदी की संख्या में ही कार्यालय में उपस्थित रहें, शेष कर्मचारी मोबाईल/दूरभाष से सम्पर्क में रहकर कार्यालयीन कार्य का अपने निवास से ही निर्वहन करें। यह प्रक्रिया प्रतिदिन रोटेशन से अपनाई जाए और इनके अभिलेख विभाग प्रमुख (प्रशासनिक/शैक्षणिक विभागाध्यक्ष) के कार्यालय में सूचीबद्ध कर संधारित करें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 20/03/2020

पृ.क्र/स्था./2020/352(88)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभाग प्रमुखों एवं शैक्षणिक विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अपर सचिव, राजभवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
6. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
8. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र की ओर इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को तत्काल वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
10. कुलपति जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव 20-3-2020

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर